18-12-20

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उपरोक्त वाद के उभय पक्ष की ओर से संयुक्त सुलहनामा आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि प्रथम पक्ष के हल्का मौजा रहई थाना सोनाहातु थाना नं० 8। रहई मौजा के खाता नं० 77 प्लॉट नं० 357 रकबा 0.59 डी० मध्ये 2 डी० पर धारा 145 द०प्र०सं० के तहत द्वितीय पक्ष के ऊपर मुकदमा दायर किया गया है जिसका चौहद्दी निम्न है।

उत्तर - उसका रोड

दक्षिण - प्लॉट नं० 357 का भाग (प्रथम प

पृष्ठ सं०—.....

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम सं० एवं तिथि

पूरब – आम रास्ता
पश्चिम – प्रथम पक्ष

उभय पक्ष उपरोक्त खाता नं० 77 प्लॉट नं० 357 रकबा 2डी० के संबंध में आपस में सुलहनामा कर लिए हैं तथा वर्तमान में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद नहीं है एवं न ही भविष्य में कभी होगा। प्रथम पक्ष का विवादित जमीन 2डी० पर किसी प्रकार का मालिकाना हक का दावा नहीं करेंगे। उक्त विवादित जमीन का मालिक एवं हकदार द्वितीय पक्ष बीरेन्द्र प्रमाणिक वगैरह हैं। जिसपर प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का दावा नहीं है। उपरोक्त जमीन का मालिक द्वितीय पक्ष है एवं भविष्य में भी रहेंगे। इस वाद को समाप्त करने की कृपा करें।

उभय पक्ष के सुलहनामा आवेदन को स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वाद को समाप्त करते हुए वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। एक अभिलेख में शांति व्यवस्था बनाये रखने की ...

कार्यपालक दं०प्र०
18/1/23

कार्य० दं०प्र०
18/1/23

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.18 11:59:59 +05:30
Location: 10.93.79.10